



कार्यालय
मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश
लोक भवन, लखनऊ



संख्याआर-81 (ई-ऑफिस)/चौंतीस-सांठवि0प्र-2024

दिनांक 20/12/2024

ई-ऑफिस

शासकीय कार्य-पद्धति को 'पेपर-लैस ऑफिस' में परिवर्तित करके शासकीय कार्यसंचालन क्षमता में सार्थक सुधार के लक्ष्य के साथ मा० मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार सभी विभागों, निदेशालयों, मण्डलों, जनपदों, नगर निगमों, विकास प्राधिकरणों, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों एवं अन्य सभी कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली लागू किए जाने हेतु कार्यवाही चल रही है। इस सम्बन्ध में प्रणाली के समुचित विकास एवं संचालन हेतु समय-समय पर विभिन्न शासनादेशों में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं।

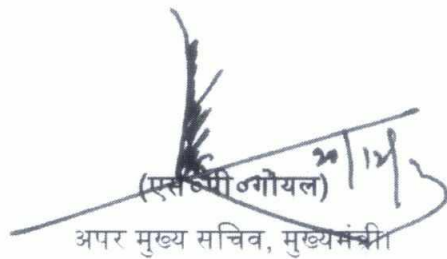
2- समस्त विभागों/कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली को समयबद्धता से लागू किए जाने हेतु निम्नांकित निर्णय लिए गए हैं:-

- 1) निदेशालयों के स्तर पर नोडल अधिकारी, सहायक नोडल अधिकारी एवं DA (डिपार्टमेंट एडमिन) को सम्मिलित करते हुए एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट (PMU) का गठन किया जाए ताकि सम्बन्धित विभागों के मण्डलीय, जनपदीय व अन्य अधीनस्थ कार्यालयों में ई-ऑफिस से सम्बन्धित कठिनाइयों का निराकरण तत्परता से किया जा सके।
- 2) प्रदेश के मण्डल स्तरीय कार्यालयों को Division Wrapper एवं जिला स्तरीय कार्यालयों को Development Wrapper में जोड़े जाने हेतु Division Wrapper के लिए उपनिदेशक, अर्थ एवं संख्या तथा Development Wrapper के लिए जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी (DeSTO) को EMD मैनेजर नामित किया जाए।
- 3) निदेशालय स्तर पर डिपार्टमेंट एडमिन (DA Admin) मण्डल, जनपद एवं अन्य अधीनस्थ स्तरों पर अपने विभाग के समस्त कार्यालयों में ई-ऑफिस पर कार्य करने वाले कर्मिकों के ईमेल आई.डी. तत्परता से बनाया जाना सुनिश्चित करें।
- 4) विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत गैर-सरकारी कर्मिकों (कॉन्ट्रैक्ट/ सर्विस प्रोवाइडर) के लिए भुगतान के आधार पर NIC ईमेल आई.डी. बनाए जाने हेतु आवश्यक धनराशि का भुगतान सम्बन्धित विभाग द्वारा वहन किया जाए।
- 5) जिलाधिकारी कार्यालय से इतर अन्य समस्त विभागीय कार्यालयों में ई-ऑफिस लागू किए जाने हेतु 29 जनपदों में आर्गेनाइजेशन यूनिट्स (OU) बनाए जाने की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। अवशेष जनपदों में आर्गेनाइजेशन यूनिट्स (OU) बनाकर ई-ऑफिस प्रणाली एक पक्ष में लागू की जाए।
- 6) प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों, मैडिकल कॉलेजों/इंजीनियरिंग कालेजों/ कृषि महाविद्यालयों, राजकीय महाविद्यालयों/शैक्षिक संस्थानों एवं स्मार्ट सिटी कार्यालयों को ई-ऑफिस के निदेशालय Instance में सम्मिलित किया जाए।

7) समस्त विभागों द्वारा अपने एवं अधीनस्थ समस्त कार्यालयों (निदेशालय/ मुख्यालय, मण्डल, जनपद, तहसील, विकास खण्ड आदि) में ई-ऑफिस सफलतापूर्वक लागू किए जाने हेतु हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कनेक्टिविटी आदि की आवश्यकता का वित्तीय आंकलन करते हुए वित्तीय वर्ष 2025-2026 के बजट में अनिवार्य रूप से मांग प्रस्तुत की जाए।

8) वित्त विभाग द्वारा प्राथमिकता के आधार पर ई-ऑफिस से सम्बन्धित बजटीय मांग को वरीयता प्रदान करते हुए बजट आवंटन किया जाए।

3- मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा अपेक्षा की गई है कि प्रत्येक दशा में 01 जनवरी, 2025 से प्रदेश के समस्त कार्यालयों (सचिवालय, निदेशालय/ मुख्यालय, मण्डल, जनपद, तहसील, विकास खण्ड आदि) में पत्रावलियों का व्यवहरण एवं पत्राचार ई-ऑफिस के माध्यम से ही किया जाए, किसी भी दशा में ऑफलाइन पत्रावलियों का व्यवहरण व पत्राचार स्वीकार न किया जाए।


(एन० सी० गौयल)
अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री

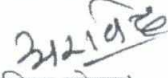
- 1- अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, उ० प्र० शासन।
- 3- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- 4- समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 5- समस्त पुलिस आयुक्त/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश शासन
मुख्यमंत्री कार्यालय सांसद एवं विधायक प्रकोष्ठ,
संख्या- 81(ई-ऑफिस) / चौतीस-सां0वि0प्र0 /2024
लखनऊ, दिनांक: 20 दिसम्बर, 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव/ सचिव/ विशेष सचिव/ विशेष कार्याधिकारी, मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
2. प्रमुख स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि ई-ऑफिस से सम्बन्धित बजटीय मांग को वरीयता प्रदान करते हुए बजट आवंटन किया जाए।
4. प्रमुख सचिव, आई०टी० एवं इलैक्ट्रॉनिक्स, उ०प्र० शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रभावी कार्यवाही करते हुए समस्त कार्यालयों में ई-ऑफिस को समयबद्ध रूप से लागू कराएं।
5. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० इलैक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन/ यूपीडेस्को।
7. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, NIC उत्तर प्रदेश।
8. वरिष्ठ निदेशक (आई०टी०) (श्री हेमंत अरोरा), NIC उत्तर प्रदेश।
9. समस्त उपाध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त प्रबन्ध निदेशक, सार्वजनिक उपक्रम, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त कुल सचिव, चिकित्सा, उच्च एवं प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,


(अरविन्द मोहन)

संयुक्त सचिव, मुख्यमंत्री।